

FORM NO. III

फर्दअहकाम




(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिवाना जिला बालोतरा

वादी/वादीगण पप्पाराम पुत्र रूपाराम जाति भील निवासी सबलपुरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा	बनाम	प्रतिवादी/प्रतिवादीगण 1 कुईताराम पुत्र मीठाराम जाति भील निवासी सबलपुरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (11) 12 शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक शाखा मोकलसर 13 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
--	------	---

किस्म मुकदमा.....धारा 53,188 RT Act.

मुकदमा नंबर:-110/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22.08.2025	वादी पप्पाराम की ओर से वकील श्री महावीरसिंह ने यह वाद पत्र प्रतिवादी कुईताराम वगैरह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा, 53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 25.09.2025 को पेश हो।  (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
03.09.2025	वादी प्रथम वादी वकील के निवेदन पर पत्रावली आज तलब की गई। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर उभय पक्ष के प्रथम लोक अदालत की भाषना से राजीनामा हो गया है। इसलिए अब वे वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते हैं। अतः नया वाद प्रस्तुत करने के हक को सुरक्षित रखते हुए वाद जरिफे विद्दे खारिज करमावे। हमने वादी वकील व वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद नया प्रस्तुत करने के हक को सुरक्षित रखते हुए वा जरिफे विद्दे खारिज किया जाता है। पत्रावली अंततः शुभारंभ केन्द्र दायरे दफ्तर है।  सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	 पं ५१२१२ पहचानपत्र महेश